सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/59 दायर दिनांक 28.04.2016

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कानीदेवी पत्नी सोहनलाल, उम्र—80साल, 2. कमलकिशोर पुत्र सोहनलाल, उम्र—60साल, 3. सत्यनारायण पुत्र सोहनलाल, उम्र—57साल, समस्त,जाति—ब्राह्मण, निवासी—डिकावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामनारायण पुत्र गोरधन, 2. रामाकिशन पुत्री गोरधन, समस्त,जाति—ब्राह्मण, निवासी—डिकावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,इचलकरंजी, महाराष्ट्र। 3. शशीप्रभा पत्नी रामस्वरूप, 4. मनीष पुत्र रामस्वरूप, 5. सुधेश पुत्र रामस्वरूप, समस्त,जाति—ब्राह्मण, निवासी—डिकावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,बेंगलोर, 6. मंजु पुत्री सोहनलाल पत्नी रामबाबूशर्मा, जाति—ब्राह्मण, निवासी—जयपुर, राजस्थान, 7. नायब तहसीलदार मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित—

1. पक्षकारान् उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 07.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 स्व0 गोरधन के वंशज हैं। वाकै सरहद डिकावा में खेत खसरा नम्बर 48 रकबा 15.07 बीघा व खसरा नम्बर 58 रकबा 09.17 बीघा कुल रकबा 25.04 बीघा वादीगण की पैतृक सम्पत्ति की भूमि है। प्रमाणित नकल खतौनी वाद के साथ पेश है।

वादीगण के पिता स्व0 सोहनलाल ग्राम डिकावा में ही आजीवन रहे थे। वादीगण के काका रामनारायण, घनश्याम व रामाकिशन

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

पारिवारिक सहमति से व्यापार हेतु इचलकरंजी महाराष्ट्र चले गये। व्यापार स्थाई रूप से प्रारम्भ होते ही प्रतिवादीगणगण रामनारायण, स्व घनश्याम व रामाकिशन वहीं स्थाई निवासी हो गये मगर कमलकिशोर को वहाँ का वातावरण नहीं जचने से व अपने पिता की सेवा करने के लिए डिकावा का आना पड़ा। मगर उक्त व्यापार में सामुहिक धन व्यय होने के कारण वादीगण के पिता स्व0 सोहनलाल व दिगर भाइयों ने यह निश्चय किया कि इचलकरंजी की व्यावसायिक सम्पति में स्व0 सोहनलाल व वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा एवं प्रतिवादीगण रामनारायण, स्व0 घनश्याम व रामाकिशन का डिकावा की अचल सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा।

उक्त पारिवारिक समझौते के अनुसार उक्त पारिवारिक सम्पत्ति खसरा नम्बर 48 व 58 की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के पिता स्व0 सोहनलाल के पक्ष में त्याग दिया। वादीगण के पिता उक्त भूमि पर तब से लगातार आजीवन कारते आये। वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 27.10.2015 को हुआ उसके पश्चात् उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त निरन्तर चला आ रहा है।

प्रतिवादी रामनारायण व रामाशिन आज भी स्थाई रूप से इचलकरंजी में परिवार सहित निवास करते है जिनका राशनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरलिस्ट व समस्त सरकारी रिकॉर्ड वहीं का है। इस प्रकार स्व0 घनश्याम भी आजीवन इचलकरंजी के निवासी रहे जहाँ पर उनकी पत्नी भँवरीदेवी व घनश्याम का स्वर्गवास हुआ।

वादित खसरान् पर वर्षों से वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के प्रगाढ विश्वास में रहने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की ओर ध्यान नहीं दिया। वादीनी कानीदेवी के अलावा अन्य वादीगण अपने करोबार व नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते हैं। इसलिए वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया लेकिन वादीगण का कब्जाकाश्त आज भी है। इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है।

वादीगण ने वादित खसरा में, पास के भँवराराम जाट के कुँआ से पानी लेकर आधा बाँटे में गेहूँ की काश्त की व वादीगण ने अवेरी। वर्षा होने पर बाजरी की काश्त की व वादीगण ने ही अवेरी, मगर गाँव की गन्दी राजनीति की वजह से उक्त भूमि को खरीदने का खुला ऑफर रामनारायण व रामाशिन को दिया गया है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बिना कोई विधिवत् बन्टवारा कराये ही किसी भू–माफिया को अगर बैचाण कर देंगे तो वादीगण को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण 03 ता 06 का हित वादीगण से भिन्न नहीं है मगर वे अभी सकुनत पर हाजिर नहीं होने से उन्हें प्रर्फोर्मा प्रतिवादीगण बनाया गया है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

बिनाया दावा प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण कर देने की धमकी देने से व राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20.04.2016 को लेने पर हुई।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद डिकावा में खेत खसरा नम्बर 48 रकबा 15.07 बीघा, खेत खसरा नम्बर 58 रकबा 09.17 बीघा, कुल रकबा 25.04 बीघा का खातेदार वादीगण व दिगर प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 गलत खातेदारी के आधार वादग्रस्त भूमि का बैचाण व हस्तानान्तरण व गिरवीनामा नहीं करे एवं प्रतिवादी उपपंजीयन अधिकारी व तहसीलदार दौराने वाद यदि वादग्रस्त भूमि का बैचाण, हस्तानान्तरण व गिरवीनामा बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन न करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 07 व 08 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 157 की प्रमाणित प्रतिलिपि, रामकिशन गोवार्धनलाल शर्मा का आधार कार्ड संख्या– 8965 3568 9022 की छायाप्रति व रामनारायण गोवर्धनलाल शर्मा का आधार कार्ड संख्या– 9470 4965 8524 की छायाप्रति, वाद के संलग्न हैं।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित हुए। पक्षकारान् को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

वादीगण कानीदेवी व सत्यनारायण तथा प्रतिवादीगण रामनारायण व रामाकिशन में मध्य राजीनामा पेश हुआ।

राजीनामा के मुताबिक, सरहद डिकावा में खेत खसरा नम्बर 48 रकबा 15.07 बीघा व खसरा नम्बर 58 रकबा 09.17 बीघा कुल रकबा 25.04 बीघा वादीगण कानीदेवी, कमलकिशोर व सत्यनारायण तथा प्रतिवादीगण शशीप्रभा, मनीष, सुधेश व मंजू के कब्जेकाश्त व खातेदारी में रहेगा। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण रामनारायण व रामाकिशन का कोई हक अधिकार नहीं रहेगा। प्रतिवादीगण ने स्वेच्छा से खातेदारी की भूमि स्व0 सोहनलाल के वारिसान् को दे दी उक्त भूमि बाबत् प्रतिवादीगण कभी कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करेंगे।

पक्षकारान् ने किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने की मंशा जाहिर की व राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया। चूँकि वादीगण के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

नहीं किया गया है। अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद डिकावा में खसरा नम्बर 48 रकबा 15.07 बीघा व खसरा नम्बर 58 रकबा 09.17 बीघा का वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरा के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 रामनारायण व रामाकिशन का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

निर्णय आज दिनांक **07.06.2017** को कोर्ट कैम्प–आकोदा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2016/59 — दायर दिनांक **28.04.2016**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कानीदेवी पत्नी सोहनलाल, उम्र–80साल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–डिकावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	**बनाम्**	1. रामनारायण पुत्र गोरधन, जाति–ब्राह्मण, निवासी–डिकावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,इचलकरंजी, महाराष्ट्र, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक **07.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद डिकावा में खसरा नम्बर 48 रकबा 15.07 बीघा व खसरा नम्बर 58 रकबा 09.17 बीघा का वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरा के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 रामनारायण व रामाकिशन का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner